

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/65/2020

अपीलाट श्री सुमेर लाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा
निवासी निवासी ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 14.10.2020

अपीलार्थी श्री सुमेर लाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा निवासी निवासी ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 25.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रुपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 944247 दिनांक 07.08.2020 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु शुल्क जमा कराने का पत्र दिनांक 17.09.2020 जारी किया गया। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं करवाई जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील, रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना की शुल्क जमा कराने हेतु प्रार्थी को सूचित किया गया है, इस प्रकार अधिनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। अतः रेस्पोंडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को न्यायालय में सुनाया गया।

